# कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:– 297 दिनांक:– 20.4.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

**विषय :–** **गुवा–सलाई पथ कि0मी0 11.00 से 29.00 फेज–II में वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण मजबूती करण एवं पुर्ननिर्माण कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् 7.67 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

**प्रसंग :–** **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 664 दिनांक 11.14.2017**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 7.67 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में अग्रसारित किया गया है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है :–

1. इस परियोजना हेतु पूर्व में 7.67 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित किया गया था। परन्तु कतिपय कारणों से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव को Withdraw कर लिया तथा एक Fresh प्रस्ताव 7.67 हे0 हेतु समर्पित किया गया है।
2. गुवा–सलाई पथ के फेज–I एवं II का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण के बारे में श्री आर0 के0 सिंह बनाम पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार National Green Tribunal, Eastern Zone, Kolkata में एक रिट याचिका दायर की गई है, जो अभी लम्बित है।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी ने पार्ट–II में प्रतिवेदित किया है कि उक्त परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा FC Act का Violation किया गया है। वन संरक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इसमें दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की शर्त्त लागू होगी।
4. यह प्रस्ताव सारण्डा वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है। प्रस्तावित कुल 7.67 हे0 वनभूमि में P.F 5.72 हे0 R.F 1.95 हे0 तथा J.J land शून्य है। इसकी वनस्पति घनत्व 0.5 है।
5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र Form A Part-I में आवेदन तथा अभियुक्ति दर्ज है।
6. प्रस्ताव के साथ Part-II एवं Part-III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा अभियुक्ति तथा अनुसंशा दर्ज है। साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दर्ज है। वन संरक्षक ने सूचित किया है कि इस पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर से सहमति प्राप्त कर ली गई है।
7. Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।

D:\SUNIL\Proposal (K)\Gua Salia\ Gua Salia, (7.67 ha)

8. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

9. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 के स्केल में टोपोशीट पर प्रस्तावित मार्ग को दर्शाते हुए नक्शा संलग्न है।

10. प्रस्ताव के साथ मौजा–मैप संलग्न है।

11. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल का ग्रामवार/प्लॉटवार/रकबावार/विस्तृत विवरणी संलग्न है।

12. प्रस्ताव के साथ N.P.V एवं C.A हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्धता दी गई है।

13. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **C.A हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।**

15. जिले से मूलभूत सूचनाऐं प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

16. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी बायोस्फेयर, टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय स्मारक, हाथी कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। परन्तु सम्पूर्ण सिंहभूम रीजन गज आरक्ष्य के रूप में अधिसूचित होने के कारण प्रस्तावित वनभूमि गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है। इस पर C.W.L.W का मंतव्य आवश्यक है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।

17. F.R.A, 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक 1089(बी0) दिनांक 16.09.2016 द्वारा दावारहित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। (पृष्ट संख्या– 80 से 86 पर द्रष्टव्य)

18. प्रस्ताव के साथ Kml File संलग्न है, परन्तु **Geo-reference Digital Plan Shape फाईल संलग्न नहीं है।**

19. प्रस्ताव पर झारखण्ड सरकार पथ निर्माण विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

20. क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने मानक शर्त्तों पर इस परियोजना हेतु कुल 7.67 हे0 वनभूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है।

21. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में इस परियोजना हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को Website पर Online कर Time Line प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की दो मूल प्रति सभी अनुलग्नकों के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 7.67 हे0 वनभूमि अपयोजन/नियमितिकरण हेतु स्टेज–I की स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

**अनु0:–यथोक्त।**
प्रस्ताव की दो प्रति।

विश्वासभाजन

20/4/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

KAn,
20.4.17

D:\SUNIL\Proposal (K)\Gua Salia\ Gua Salia, (7.67 ha)

# PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

## *RECONSTRUCTION OF GUA SALAI ROAD KM 11.00 TO 29.00 KM 7.67 ha.*

**17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.**

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

*Recommended for diversion of 7.67 ha. Forest land.*

Date :- 20.04.2017

Place :- Ranchi.

Signature

20/4/17

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)